

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

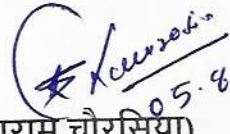
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 (24 अगस्त 2026 से 31 मार्च 2027) के लिये जनपद न्यायालय बागपत के बाहर प्रस्तावित स्थल पर मोटर साईकिल पार्किंग हेतु स्थान की नीलामी हेतु निविदाएं सील बंद लिफाफे में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20.08.2026 तक केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत में उचित माध्यम द्वारा प्राप्त की जायेंगी। निविदाएं दिनांक 21.08.2026 को सांय 04.00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में नीलाम समिति के समक्ष खोली जायेंगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी हेतु निविदाएं प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 19.08.2026 तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त से सम्बन्धित सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर देखी जा सकती है।

दिनांक:-05.08.2026


(सियाराम चौरसिया)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0- 03 बागपत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
2. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।
3. कार्यालय तहसील सदर बागपत, खेकड़ा तथा बड़ौत।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।
5. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।


(सियाराम चौरसिया)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0- 03 बागपत।

मोटर साइकिल पार्किंग ठेका हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय बागपत।

नीलामी समिति की बैठक आज दिनांक 05.08.2026 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 01:30 बजे आहूत की गयी। बैठक में नीलामी समिति के सदस्य श्री रत्नम श्रीवास्तव, सिविल जज (सी0डि0) बागपत एवं श्री रजनीश कुमार द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित न्यायालय बागपत उपस्थित आये।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 की शेष अवधि हेतु मोटर साइकिल पार्किंग ठेके की नीलामी कराये जाने के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 7565/Admin. (B-I) Section Allahabad दिनांकित 27.05.2026 पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 29.05.2026 के अनुपालन में नीलाम समिति द्वारा मोटर साइकिल पार्किंग की नीलामी हेतु विचार विमर्श किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्रांक में नीलामी सर्कुलर लेटर नं0 797/एडमिन (B-I) दिनांकित 15.03.1994 एवं सर्कुलर लेटर नं0 4004/एडमिन (B-I) दिनांकित 21.12.1992 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्रांक में शासनादेश सं0 562/उत्तीस-2-2007-1007/74 (T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुसार नीलामी के प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में जिला सूचना अधिकारी बागपत को दो समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु सूचना प्रेषित की जायेगी।

नीलाम समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्रांक में दिये गये दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में जनपद न्यायालय बागपत में वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु निविदाएं आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। नीलामी हेतु निविदाएं दिनांक 20.08.2026 तक सील बंद लिफाफे में केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत में उचित माध्यम द्वारा प्राप्त की जायेंगी। निविदाएं दिनांक 21.08.2026 को सायं 04.00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में नीलाम समिति की उपस्थिति में खोली जायेंगी।

नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाइट <https://districtscourts.gov.in/baghpatt> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर श्रीमान नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स बागपत के द्वारा अपलोड करायी जायेगी। मोटर साइकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बागपत से दिनांक 19.08.2026 को सायं 04.00 बजे से पूर्व फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

क्रम सं.	ठेके का विवरण	धरोहर धनराशि
01.	मोटर साइकिल एवं साइकिल पार्किंग	50000/-रूपये

वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु कार पार्किंग, मोटर साइकिल एवं साइकिल पार्किंग की दरें निम्नवत है:-

मोटर साइकिल	20/- रुपये प्रति वाहन
-------------	-----------------------

नीलामी की शर्तें

01. मोटर साइकिल पार्किंग ठेका नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि (24 अगस्त 2026 से 31 मार्च 2027) तक के लिये वैध होगी।

02. जिस फर्म/व्यक्ति के पास मोटर साइकिल पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।

03. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

04. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को निर्धारित फार्म के साथ पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं धरोहर धनराशि नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जनपद न्यायाधीश बागपत के पक्ष में केन्द्रीय नजारत में जमा करनी होगी।

05. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये मोटर साइकिल पार्किंग की न्यूनतम निविदा धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार धनराशि अंकन 1,77,396/- रुपये निर्धारित है।

06. जिरा व्यक्ति/फर्म द्वारा अधिकतम निविदा प्रस्तुत की जायेगी उस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी, वह व्यक्ति/फर्म अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

07. नीलामी स्वीकृत होने के उपरांत व्यक्ति/फर्म द्वारा अधिकतम निविदा धनराशि का 25% तत्काल केन्द्रीय नजारत में जमा कराना होगा तथा शेष धनराशि को दो समान किस्तों में माह नवम्बर 2026 एवं फरवरी 2027 में केन्द्रीय नजारत में जमा करानी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन को निरस्त कर सकते हैं।

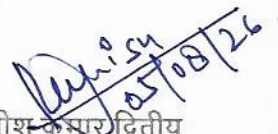
08. वाहन पार्किंग व्यक्ति/फर्म को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। मोटर साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा मोटर साईकिल स्टैण्ड पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल पर कीचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।

09. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण करा सकते हैं। पार्किंग स्थल पर गंदगी पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।

10. आवंटी व्यक्ति/फर्म को आवंटन उपरांत इस आशय का शपथ पत्र 100/-रूपये के स्टॉप पर प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी अन्य कार्य हेतु अथवा किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा एवं नीलाम समिति की सभी शर्तों का पालन करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


रजनीश कुमार द्वितीय
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू0 डिवीजन/त्वरित न्यायालय,
बागपत।


रत्नम श्रीवास्तव
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(सी0डि0)
बागपत।


सियाराम चौरसिया
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03 बागपत।

Approved.
05.08.26
District Judge
Baghat